संख्या 185 /XXIV(7)/ 2016-51(3)10T.C.-II

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी–नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादूनः दिनांक 7 जून 2016

विषयः–राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु गठित राज्य स्तरीय गवर्निंग बॉडी में लिए गये निर्णयों का कियान्वयन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु प्रदेश स्तर पर गठित राज्य स्तरीय गवर्निंग बॉडी द्वारा लिए गये निर्णय के कियान्वयन हेतु राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यकमों का संचालन निम्नानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(1) एन0सी0टी0ई0 विनियम 2014 के कम में द्विवर्षीय स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क शैक्षिक सत्र 2015–16 से 35000/= प्रतिवर्ष होगा। महाविद्यालय द्वारा शुल्क को दो किस्तों में लिया जा सकेगा।

(2) एन0सी0टी0ई0 विनियम 2014 के अनुरूप द्विवर्षीय स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मिकों की शैक्षिक अर्हता एवम् योग्यता मानदण्ड निम्नवत् होंगे :–

(1) शैक्षणिक स्टाफ हेतु मानदण्ड

क. विभागाध्यक्ष

पद संख्या : एक

अनिवार्य योग्यता :

(i) कला/विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी/वाणिज्य में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।
(ii) एम0एड0 कम से कम 55% अंकों के साथ।
(iii) शिक्षा में अथवा किसी शिक्षा शास्त्रीय विषय में जो उस संस्था में पढ़ाया जाता है, पीं0एच0डी0
(iv) किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्था में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

वांछनीय योग्यता :

शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक नेतृत्व में डिग्री/डिप्लोमा

आयु : 60 वर्ष से कम।

योग्यता अंकों का निर्धारण – अधिकतम अंक – 100

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner